<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258653 SG-DL-E-14112024-258653

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 247
No. 08]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946	[N. C. T. D. No. 247

भाग III PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना दिल्ली, 12 नवंबर, 2024

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024

एफ. 17(17)/इंजी./डीईआरसी/2023-24/सी.एफ. नं. 8020/ 1568.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42, 61(एच), 66 और 86(1)(ई) के साथ पठित धारा 181 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024।

1.संक्षिप्त शीर्षक. विस्तार और प्रारंभ

(क) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

7322 DG/2024 (1)

- (ख) ये विनियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित होंगे।
- [;]ग) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
 - i के कारण उपलब्ध मार्जिन;
- (a)1 मेगावाट और उससे अधिक के लिए ओपन एक्सेस की मांग करने वाले जेनरेटर के साथ-साथ उपभोक्ता की ओर से ऊर्जा मीटर यानी एबीटी अनुरूप मीटर की स्थापना। जबिक 1 मेगावाट से कम की ओपन एक्सेस चाहने वाले उपभोक्ता के मामले में, 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के आधार पर ऊर्जा रिकॉर्डिंग में सक्षम विशेष ऊर्जा मीटर की स्थापना की जाएगी।
- (b)संबंधित लाइसेंसधारी तथा/अथवा एसएनए का कोई बकाया नहीं।

1. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का वर्गीकरण: परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो,

- (a) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है;
- (b) "आवेदक" का अर्थ एक इकाई, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी या जेनरेटर है जिसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग के लिए आवेदन किया है, जैसा भी मामला हो;
- (c) "उचित आयोग" का अर्थ है धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विनियामक आयोग या धारा 82 में निर्दिष्ट राज्य विनियामक आयोग या अधिनियम की धारा 83 में निर्दिष्ट संयुक्त आयोग, जैसा भी मामला हो;
- (d) "बैंकिंग" का अर्थ है ग्रिड में इंजेक्ट की गई अधिशेष ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के पास जमा की गई और अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की भरपाई के लिए शुल्क के साथ ली जाएगी;
- (e) "कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट" (सीजीपी) का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से अपने उपयोग या मुख्य रूप से ऐसी सहकारी सिमिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए बिजली पैदा करने के लिए व्यक्तियों का संघ, जो विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित एक बिजली संयंत्र और इसमें किसी भी सहकारी सिमिति द्वारा स्थापित बिजली संयंत्र शामिल है;
- (f) "केंद्रीय आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है;
- (g) "केंद्रीय नोडल एजेंसी" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक केंद्रीय नोडल एजेंसी, जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 में निर्दिष्ट ग्रीन एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए है;
- (h) "आयोग" का अर्थ अधिनियम के तहत गठित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;
- (i) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी लाइसेंसधारी या सरकार या बिजली अधिनियम, 2003 या किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है या वर्तमान समय में लागू है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यों से बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है;
- (j) "डेवलपर" का अर्थ वह उत्पादन कंपनी है जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है;
- (k)"डे अहेड मार्केट (डीएएम)" का अर्थ एक ऐसा बाजार है जहां पावर एक्सचेंज पर डे अहेड अनुबंधों का

लेन-देन किया जाता है;

- (I) "इकाई" का अर्थ है कोई भी उपभोक्ता जिसने सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक की मांग या स्वीकृत भार का अनुबंध किया है या तो एकल कनेक्शन के माध्यम से या (100) किलोवाट या उससे अधिक के कुल कनेक्शन के माध्यम से, 11 केवी या उससे ऊपर से जुड़ा हुआ है, कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर, एक ही वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में स्थित है। प्रावधान है कि डिस्कॉम्स के साथ उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संबंध में कैप्टिव उपयोग के लिए ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई भार सीमा नहीं होगी;
- (m) "मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ता/ग्राहक" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर विनियम/आदेश मौजूदा समझौते या आयोग के तहत राज्य में लाइसेंसधारियों के ट्रांसिमशन सिस्टम तथा/अथवा वितरण प्रणाली से नवीकरणीय (ग्रीन) एनर्जी की सोर्सिंग/आपूर्ति के लिए ओपन एक्सेस का लाभ उठा रहा है;
- (n)"फॉसिल फ्यूल" का अर्थ कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन जैसे ईंधन या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में इनका संयोजन है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए थर्मल जेनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है;
- (o)"ग्रीन एनर्जी" का अर्थ है जलविद्युत और भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है) या किसी अन्य तकनीक सिहत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा, जैसािक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है और इसमें कोई भी शािमल होगा वह तंत्र जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोिनया और किसी भी अन्य स्रोत के उत्पादन सिहत फॉिसल फ्यूल को बदलने के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करता है, जैसािक बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन), नियम 2022 के नियम 4 के उप-नियम (2) की धारा जी के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
- (p)"ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुबंध मांग या स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक है, या तो एकल कनेक्शन के माध्यम से या सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक के एकाधिक कनेक्शन के माध्यम से, 11 केवी पर जुड़ा हुआ है या उपरोक्त, उसी वितरण लाइसेंसधारी के बिजली क्षेत्र में स्थित है, जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या अपने स्वयं के कैप्टिव जेनरेशन प्लांट से या बिजली आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग के लिए ग्रीन एनर्जी स्रोतों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली अधिनियम, 2003 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जनता के लिए और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यों के साथ ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।
 - प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत बिजली का लाभ उठाने वाली डिस्कॉम्स के साथ उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत भार (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संबंध में कैप्टिव उपयोग के लिए ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई भार सीमा नहीं होगी;
- (q)"ओपन एक्सेस" का अर्थ है किसी भी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या उत्पादन में लगा व्यक्ति उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों तथा/अथवा वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या सिस्टम से जुड़ी सुविधाओं के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान;
- (r) "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति;
- (s)"परिसर" में कोई भूमि, भवन या संरचना शामिल है;
- (t) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" का अर्थ है नवीकरणीय स्रोत जैसे विनियमन 4(2)(ए) के तहत निर्दिष्ट बड़े हाइड्रो, छोटे हाइड्रो, पवन, सौर जिसमें संयुक्त चक्र, बायोमास, जैव ईंधन सह-उत्पादन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट तथा/अथवा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) या भारत सरकार या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्रोत के साथ

इसका एकीकरण शामिल है;

- (प) "नियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए नियम जिनमें समय-समय पर संशोधित विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 शामिल हैं;
- (फ) "राज्य" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी);
- (ब) "राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड या सरकारी कंपनी है;
- (भ) "स्टेट नोडल एजेंसी" (एसएनए) का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है;

दिल्ली राज्य लोड डिस्पैच सेंटर राज्य के वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क के साथ या उसके बिना इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक अल्पकालिक ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

स्टेट ट्रांसिमशन यूटिलिटी (एसटीयू) राज्य के वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क के साथ या उसके बिना इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन नेटवर्क तक मध्यम अविध और दीर्घकालिक ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए एक स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।

वितरण लाइसेंसधारी उन मामलों के लिए ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए एसएनए के साथ समन्वय में एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, जहां निकासी और इंजेक्शन बिंदुओं का परस्पर स्थान संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क पर पड़ता है;

- (म) "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर" का अर्थ अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित राज्य विद्युत भार वितरण केंद्र है;
- (य) "स्टैंडबाय अरेंजमेंट" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त व्यवस्था है, यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता ऐसे जेनरेटर के बंद होने के कारण, पारेषण संपत्ति और इसी तरह के उन उत्पादन स्रोतों से बिजली खरीदने / शेड्यूल करने में असमर्थ है, जिनके पास आपूर्ति का लाभ उठाने की व्यवस्था है;
- (र) "स्टैंडबाय चार्ज" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त व्यवस्था के खिलाफ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू शुल्क, यदि ऐसे ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता उन उत्पादन स्रोतों से बिजली की खरीद / शेड्यूल करने में असमर्थ हैं, जिसके साथ जेनरेटर, ट्रांसमिशन सिस्टम और इसी तरह की अन्य चीजों के बंद होने के कारण बिजली लेने के लिए उनके पास समझौते हैं;
- (ल) "व्हीलिंग" का अर्थ वह संचालन है जिसके तहत ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली और संबंधित सुविधाएं, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 62 के तहत निर्धारित किए जाने वाले शुल्क के भुगतान पर बिजली के परिवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाती है:

2. विनियमों की व्याख्या

इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो:

- (a) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम या नियमों, आईईजीसी या राज्य ग्रिड कोड या राज्य वितरण कोड या राज्य विद्युत आपूर्ति कोड में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या नियमों, आईईजीसी या आयोग द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विनियम, जैसा भी मामला हो, के तहत दिया गया है।
- (b)समय-समय पर संशोधित सामान्य धारा अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इन विनियमों की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह संसद के अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

- (c)एकवचन या बहुवचन के संबंध में शब्दों में, जैसा भी मामला हो, क्रमशः बहुवचन या एकवचन पद को भी शामिल माना जाएगा।
- (d)"शामिल है" या "सहित" शब्दों का पालन "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, भले ही ऐसे शब्दों का पालन ऐसे वाक्यांशों या समान महत्व के शब्दों द्वारा किया जाता हो।
- (e)यहां "विनियमों" के संदर्भों को इन विनियमों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जो लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर आयोग द्वारा सुधार किए या संशोधित किए जाते हैं।
- (f) शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और इन विनियमों की व्याख्या के उद्देश्य से इन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- (g)कानूनों, विनियमों या दिशानिर्देशों के संदर्भ को ऐसे कानूनों, विनियमों या दिशानिर्देशों को समेकित करने, संशोधित करने या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को शामिल करने के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
- (h)इन विनियमों के किसी भी प्रावधान और आयोग द्वारा पारित किसी भी अन्य विनियम या आदेश के बीच असंगतता के मामले में, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत लागू किया जाएगा। इसके बाद भी, यदि असंगतता बनी रहती है, तो इन विनियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. विस्तार

ये विनियम ग्रीन एनर्जी स्रोतों से उत्पन्न बिजली तक ओपन एक्सेस की अनुमित देने के लिए लागू होंगे, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, और गैर-फॉिसल फ्यूल आधारित नगरपालिका ठोस अपिशष्ट-से-ऊर्जा या रिफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) संयंत्रों से ऊर्जा तक भी राज्य में इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) या वितरण प्रणाली या दोनों का उपयोग जिसमें इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) तथा/अथवा वितरण सिस्टम शामिल हैं जो बिजली के अंतर-राज्य ट्रांसिमशन के लिए प्रासंगिक हैं।

4. ग्रीन एनर्जी के ओपन एक्सेस की अनुमति के लिए मानदंड

- (c) दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अनुमित ट्रांसिमशन योजना मानदंड और वितरण व्यवसाय योजना के अनुसार दी जाएगी।
- (d)यदि अनुरोध को समायोजित किया जा सकता है, तो निम्न का उपयोग करके अल्पकालिक/मध्यम अवधि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाएगी:
 - ii अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन;
 - iii बिजली प्रवाह में भिन्नता के कारण उपलब्ध मार्जिन और;
- 5. भविष्य में भार वृद्धि को पूरा करने के लिए निर्मित अतिरिक्त ट्रांसिमशन सिस्टम क्षमता तथा/अथवा वितरण प्रणाली क्षमता

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन तथा/अथवा वितरण प्रणाली के उपयोग की अवधि के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

- (a) "दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" का अर्थ है पांच साल से अधिक लेकिन 25 साल से अधिक नहीं, की अविध के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली तथा/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार।
- (b)"मध्यम अवधि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" का अर्थ है ग्यारह महीने से अधिक लेकिन पांच साल से अधिक नहीं, की अवधि के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली तथा/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार।
- (c)"अल्प अवधि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस" का अर्थ ग्यारह महीने तक की अवधि के लिए ओपन एक्सेस है।

प्रावधान है कि अल्प अवधि ग्रीन ओपन एक्सेस की समाप्ति पर, चाहे वह किसी भी अवधि के लिए दी गई हो, यदि ऐसा उपभोक्ता आगे की अवधि के लिए अल्प अवधि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे एक नया आवेदन दाखिल करना होगा। आवेदन और प्राथमिकता ऐसे नए आवेदन जमा करने की तिथि के आधार पर तय की जाएगी।

6. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदन प्रक्रिया

(क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए सभी आवेदन आवश्यक दस्तावेजों, विवरणों और यदि कोई हो, तो शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में इन विनियमों के अनुसार केंद्रीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को भेजे जाएंगे।

राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) उन मामलों के लिए संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को आवेदन अग्रेषित करेगी जहां निकासी और अंतः क्षेपण के परस्पर बिंदु संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क पर आते हैं और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी आवेदन को इन विनियमों के अनुसार संसाधित करेगा।

प्रावधान है कि, ऐसे समय तक, जबिक केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा प्रक्रियाएं और प्रारूप तैयार किए जाते हैं, इस मामले में ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित मौजूदा प्रक्रियाओं / प्रारूपों का पालन किया जा सकता है।

- (ख) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस चाहने वाले सभी आवेदकों को उस क्षमता (बिजली की मात्रा) के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) या कोई अन्य द्विपक्षीय समझौता नहीं करने का वचन देना होगा, जिसके लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग की गई है।
 - उपरोक्त विनियम 7(बी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक अदाकर्ता इकाई (उपभोक्ता/वितरण लाइसेंसधारी) इसके द्वारा प्रदान की गई या मांगी गई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मात्रा के भीतर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) या किसी अन्य द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करने के लिए पात्र होगी।
- (ग) राज्य नोडल एजेंसी केंद्रीय नोडल एजेंसी के पोर्टल पर जनता के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारियों सिहत टांसमिशन लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करेगी।

7. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस लागू करने के लिए पात्रता मानदंड

- (क) वह उपभोक्ता जिसने सौ (100) किलोवाट या अधिक की मांग या स्वीकृत भार का अनुबंध किया है, जो 11 केवी या उससे ऊपर से जुड़ा है, या तो एकल कनेक्शन के माध्यम से या एक ही वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में स्थित सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक के एकाधिक कनेक्शन के माध्यम से, इन विनियमों के तहत ग्रीन एनर्जी (आरई) की सोर्सिंग के ओपन एक्सेस के लिए पात्र होगा।
 - प्रावधान है कि कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट वाले उपभोक्ता के मामले में, डिस्कॉम्स के साथ अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संदर्भ में कोई लोड सीमा नहीं होगी।
- (ख) न्यूनतम 12 समय ब्लॉकों के लिए, उपभोक्ता को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करना चाहिए ताकि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में उच्च बदलाव से बचा जा सके।
- (ग) इन विनियमों के प्रावधानों और सिस्टम की उपलब्धता के अधीन, उपभोक्ता, लाइसेंसधारी तथा/अथवा उत्पादन कंपनी राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी या किसी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस तथा/अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित ट्रांसमिशन, व्हीलिंग शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान पर राज्य के भीतर वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली के लिए पात्र होंगे। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को वास्तविक समय की निगरानी में एसएलडीसी की सुविधा के लिए ऊर्जा लेखांकन और रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) के लिए अपने स्थान पर एबीटी कंप्लायंट मीटर/विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित करना

होगा, जिसे संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

प्रावधान है कि 1 मेगावाट से नीचे ओपन एक्सेस चाहने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के आधार पर ऊर्जा रिकॉर्डिंग में सक्षम विशेष ऊर्जा मीटर की स्थापना के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

प्रावधान है कि इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी ग्रीन एनर्जी (आरई) उत्पादक कंपनी जिसका वितरण लाइसेंसधारी के साथ मौजूदा बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है, वह ग्रीन एनर्जी (आरई) क्षमता के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का हकदार नहीं होगी, जिसके लिए पीपीए है साथ ही किसी भी क्षमता (बिजली की मात्रा) के लिए प्रवेश किया गया है, ऐसे पीपीए की शर्तों के अनुसार जिसके लिए ओपन एक्सेस पहले से ही प्रदान किया गया है, को छोड़कर।

- (घ) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट (सीजीपी) का निर्माण किया है, को अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों और अधिनियम और आदेश(शों) के तहत विषय वस्तु पर आयोग के बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अन्य प्रावधानों के अनुसार ओपन एक्सेस का अधिकार होगा।
- (ड़) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस चाहने वाले उपभोक्ता को केंद्रीय नोडल एजेंसी के पास आवेदन जमा करना होगा।

8. आवंटन प्राथमिकता

- (a) वितरण लाइसेंसधारी को अन्य ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- (b) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस की समान श्रेणी में सामान्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर प्राथमिकता (प्राथमिकता) मिलेगी।
- (c) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के बीच, दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पारेषण/वितरण प्रणाली क्षमता मार्जिन की उपलब्धता के अधीन, किसी भी समय प्राथमिकता (प्राथमिकता) दी जाएगी, उसके बाद मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और उसके बाद अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

9. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया

(क) एक बार जब आवेदन आगे के सत्यापन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित राज्य नोडल एजेंसी को भेज दिया जाता है, तो उस पर केंद्रीय नोडल एजेंसी से राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

आवेदन पर प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित समय-सारणी का पालन किया जाएगा:

क्र. सं.	विवरण	टाइम-लाइन	टिप्पणी
1	वह तिथि जिस दिन राज्य नोडल एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी से आवेदन प्राप्त होता है।	T0 = शून्य तिथि	
2	आवेदन प्राप्ति की पावती।	T0 = शून्य तिथि	पावती तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रदान की जाएगी।
3	यह पुष्टि करने के बाद कि आवेदक	T0 + 1 कार्य दिवस	यदि आवेदन अधूरा है, तो राज्य नोडल एजेंसी आवेदक को लिखित रूप में इसकी सूचना देगी और

	द्वारा प्रसंस्करण शुल्क और बीजी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन स्वीकार करना।		किमयों का विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगी। किमयों को दूर करने के बाद दोबारा नया आवेदन करना होगा।
4	एसटीयू/संबंधित डिस्कॉम्स को आवेदन अग्रेषित करना।	T0 + 3 कार्य दिवस	आवेदन की स्वीकृति पर, इसे सिस्टम की उपलब्धता, मीटिरेंग बुनियादी ढांचे, कोई लंबित बकाया नहीं है और जिस क्षमता के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग की गई है, उसके लिए कोई मौजूदा पीपीए नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे एसटीयू/संबंधित डिस्कॉम को भेज दिया जाएगा।
5	एसटीयू/डिस्कॉम से सूचना।	T0 + 7 कार्य दिवस	आवेदन प्राप्त होने पर एसटीयू/डिस्कॉम्स सिस्टम अध्ययन करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का आकलन किया जा सके और कोई लंबित बकाया न होने की पृष्टि की जा सके। यदि नेटवर्क में मार्जिन उपलब्ध है और आवश्यक बुनियादी ढांचे की भी उपलब्धता है तो एसटीयू/डिस्कॉम्स को वैधता के बारे में राज्य नोडल एजेंसी को सूचित करना होगा।
			दीर्घकालिक ओपन एक्सेस एलटीओए के मामले में, यदि सिस्टम सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, तो एसटीयू/डिस्कॉम सिस्टम सुदृढ़ीकरण के लिए शामिल कार्य के बारे में आवेदक और राज्य नोडल एजेंसी को सूचित करेगा। यदि सिस्टम सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की संभावित तिथि उसी समय के भीतर राज्य नोडल एजेंसी को सूचित की जाएगी।
			यदि एसटीयू/डिस्कॉम से निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य नोडल एजेंसी इसे एक वैध आवेदन मानेगी। प्रावधान है कि सिस्टम निकासी बिंदु पर यह सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन करता है कि ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि आवेदक एक वचन पत्र प्रस्तुत करे कि, वह अपने आपूर्ति समझौते में निर्दिष्ट अनुबंध मांग से अधिक नहीं होगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का विकल्प चुनने के बाद भी

			लाइसेंसधारी।
			प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत बिजली का लाभ उठाने वाली डिस्कॉम्स के साथ उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संबंध में कैप्टिव उपयोग के लिए ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई लोड सीमा नहीं होगी।
6	राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को	T0 +8 कार्य दिवस	राज्य नोडल एजेंसी आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के अनुदान के लिए आवेदन की वैधता के बारे में सूचित करेगी।
	सूचना।		यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो राज्य नोडल एजेंसी द्वारा उपरोक्त समय के भीतर आवेदक को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस न दिए जाने के कारणों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
			यदि, राज्य नोडल एजेंसी उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के अनुदान की सूचना देने में विफल रहती है, तो इसे सिस्टम उपलब्धता के अधीन माना जाएगा।
7	मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध	T0 + 10 कार्य दिवस	आवेदक को हस्ताक्षरित ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग समझौते को निष्पादित करने के लिए लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करना होगा और ऐसी प्रस्तुति के लिए संबंधित लाइसेंसधारी को अधिसूचित नामित प्राधिकारी की उचित पावती प्राप्त करनी होगी।
	प्रस्तुत करना।		यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग समझौता प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो दिया गया ओपन एक्सेस रद्द कर दिया माना जाएगा।
8	एसटीयू/डिस्कॉम्स द्वारा समझौते का निष्पादन और आवेदक को	T0 + 13 कार्य दिवस	संबंधित प्राधिकारी तीन दिनों के भीतर आवेदक के साथ समझौते का निष्पादन सुनिश्चित करेगा और ऐसे निष्पादित समझौते की प्रति भी प्रदान करेगा और आवेदक की देय पावती प्राप्त करेगा।
	निष्पादित समझौते की वापसी।		एसटीयू द्वारा ट्रांसिमशन समझौते और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा व्हीलिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा तीन दिन होगी, भले ही दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हो।
			निष्पादित किया जाने वाला ट्रांसमिशन और व्हीलिंग समझौता मानक प्रारूप में होगा, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित एजेंसी/लाइसेंसधारी राज्य नोडल एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा।।
			इन विनियमों के अनुसार आरईएस और गैर-

			आरईसी रूट परियोजनाओं के लिए संशोधित और आयोग से अनुमोदित मौजूदा व्हीलिंग/ट्रांसमिशन समझौते को अपनाया जाएगा।
9	आवेदक द्वारा निष्पादित समझौते/शपथ-पत्र की हस्ताक्षरित प्रतियां एसएनए के	T0 + 15 कार्य दिवस	इसके बाद, आवेदक ऐसे निष्पादित समझौते की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर राज्य नोडल एजेंसी को हस्ताक्षरित ट्रांसिमशन तथा/अथवा व्हीलिंग समझौते की प्रतियां जमा करेगा और राज्य नोडल एजेंसी रसीद की पावती प्रदान करेगी।
	पास जमा करना।		यदि एसटीयू/डिस्कॉम्स उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदक द्वारा प्रस्तुत ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग समझौते को निष्पादित माना जाएगा।
			विचारित निष्पादन के मामले में, आयोग द्वारा अनुमोदित मानक समझौते के प्रावधान लागू और बाध्यकारी होंगे।
			समझौते के निष्पादन के मामले में, आवेदक को प्रभावी तिथि से ऊर्जा के ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह हलफनामे पर 'अंडरटेकिंग' दाखिल करे कि वह ऊर्जा के ट्रांसमिशन तथा/अथवा व्हीलिंग का लाभ उठाएगा और स्वीकृत समझौते के नियम और शर्तें इस पर बाध्यकारी हैं।
10	व्हीलिंग के लिए प्रभावी तिथि	यदि राज्य नोडल एजेंसी आवेदक से समझौते के समझे गए निष्पादन के संबंध में शपथ पत्र पर निष्पादित समझौते/'उपक्रम' की प्रतियां प्राप्त करती है, जैसा भी मामला हो, आवेदक के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि राज्य नोडल एजेंसी को समझौते/उपक्रमों की निष्पादित प्रतियां जमा करने के दिन से अगली तिथि होगी।	आवेदक को प्रभावी तिथि से ऊर्जा की व्हीलिंग की अनुमित दी जाएगी।

- (ख) ओपन एक्सेस के लिए एक आवेदन के साथ राज्य नोडल एजेंसी को गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान का प्रमाण देना होगा, जैसाकि नीचे बताया गया है:
 - (i) दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए पचास हजार रुपये,
 - (ii) मध्यम अवधि की ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए पच्चीस हजार रुपये, और
 - (iii) अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए पांच हजार रुपये।

- (ग) ग्रीन एनर्जी उत्पादन संयंत्र (संयंत्रों) या इसकी/उनकी उत्पादन इकाई (इकाईयों) के लिए, जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए कोई आवेदन, कॉरिडॉर के अनावश्यक अवरोध से बचने के लिए ऐसे ग्रीन एनर्जी उत्पादन संयंत्र (संयंत्रों) या इसकी/उनकी उत्पादन इकाई (इकाइयों) की कमीशर्निंग की तिथि से दो महीने से पहले जमा नहीं किया जाएगा।
- (घ) दीर्घाविधि/मध्यम अविध ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए आवेदन के साथ 1 मेगावाट से कम ग्रीन ओपन एक्सेस क्षमता के लिए पचास हजार रुपये (50,000/- रुपये) की बैंक गारंटी (बीजी) और 1 मेगावाट और उससे अधिक के लिए प्रति मेगावाट एक लाख रुपये (रु. 1,00,000/- प्रति मेगावाट) की बैंक गारंटी संलग्न की जाएगी जिसे बिजली के पारेषण तथा/अथवा व्हीलिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक वैध और चालू रखा जाएगा और ऐसी बीजी को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा भुनाया जाएगा, यदि ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। बिजली के पारेषण और/या व्हीलिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर, बीजी राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को 25 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- (इ) यदि इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन तथा/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करके अंतः क्षेपण बिंदु के स्थान या बिजली की मात्रा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सिस्टम की उपलब्धता और ऐसा आवेदन प्रासंगिक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए। इसके अलावा, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के मामले में, अतिरिक्त क्षमता के लिए बैंक गारंटी भी देनी होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मांगी गई अतिरिक्त क्षमता को मौजूदा नेटवर्क में समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो आवेदक अपने मुल आवंटन की सीमा तक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का हकदार होगा।
- (च) बैंक गारंटी (बीजी) राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा 25 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी; (i) ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को हस्ताक्षरित समझौते को प्रस्तुत करने की तिथि से, ओपन एक्सेस के लिए मान्य अनुमोदन के मामले में; (ii) नेटवर्क में मार्जिन की अनुपलब्धता के आधार पर एसएनए द्वारा ओपन एक्सेस के लिए आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से और; (iii) किसी कमी या दोष के कारण एसएनए द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने की तिथि से। किसी भी कमी या दोष के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक को कमी या दोष को ठीक करने के बाद केंद्रीय नोडल पोर्टल पर एक नया आवेदन जमा करना होगा।
- (छ) राज्य नोडल एजेंसी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने या अन्यत्र के संबंध में संचार के एक मान्यता प्राप्त माध्यम के द्वारा आवेदक को सूचित करेगी।
- (ज) इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने के आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक लाइसेंसधारी के नेटवर्क में कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा और लाइसेंसधारी ऐसी अविध के दौरान प्रदान की गई ऊर्जा के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (झ) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और एसटीयू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की व्यवस्था करते समय उचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
- (ञ) नवीन ग्रीन एनर्जी (आरई) उत्पादन संयंत्र या उत्पादन इकाई या उत्पादन कंपनी जिसने अपने नाम पर कनेक्टिविटी प्राप्त की है, दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग के लिए आवेदन करेगी और व्हीलिंग तथा/अथवा इसके नाम पर ट्रांसमिशन के लिए समझौता करेगी और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस एप्लिकेशन की तारीख से चौबीस महीने के भीतर, या प्लांट की ओपन एक्सेस/सीओडी के शुरू होने की निर्धारित तिथि से ऐसे प्लांट या यूनिट को चालू करेगी जैसाकि संबंधित पीपीए/ ट्रांसमिशन एग्रीमेंट/व्हीलिंग एग्रीमेंट में निर्दिष्ट है, जो भी पहले हो, जैसा भी मामला हो, ऐसा न करने पर, कॉरिडोर के अनावश्यक अवरोध से बचने के लिए दी गई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को रद्द माना जाएगा।

प्रावधान है कि यदि परियोजना डेवलपर परियोजना को चालू करने के लिए तैयार है, लेकिन लाइसेंसधारी की विफलता की वजह से पारेषण/वितरण नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ऐसी परियोजनाएं चालू करने में असमर्थ हैं. तो ऐसे जनरेटर या उत्पादन कंपनी को, सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, सीओडी के विस्तार के लिए, अधिमानतः, ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के पूरा होने की तारीख से तीन (3) महीने पहले, आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

- (ट) एक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता जनरेटर या उत्पादन कंपनी, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी के साथ वाणिज्यिक समझौते में प्रवेश करेगा, जैसा लागू हो सकता है, और ऐसे समझौतों में भुगतान सुरक्षा तंत्र से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे।
- (ठ)राज्य नोडल एजेंसी केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का विवरण अपनी वेबसाइट पर रखेगी और ऐसे आवेदन की स्थिति को निरंतर आधार पर अपडेट करेगी, जिसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ड) राज्य नोडल एजेंसी/वितरण लाइसेंसधारी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार करेगा जिसमें अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, प्रारूप आदि शामिल होंगे और राज्य में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और इन विनियमों की अधिसुचना की तिथि से 90 दिनों के भीतर आयोग से इसे अनुमोदित कराएगा।

11. डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

(क) आवेदक को मानक आवेदन प्रारूप में डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के लिए केंद्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त आवेदनों के लिए, डे अहेड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के निर्धारण के दिन से ठीक पहले दिन के 13:00 बजे से पहले, राज्य नोडल एजेंसी सिस्टम में संकुलन की जांच करेगी और आवेदक को ई-मेल या फैक्स के माध्यम से अनुमोदन या अन्यत्र की सूचना देगी, जोकि अगले दिन के ट्रांजेक्शन के शेड्यूल के दिन से ठीक पहले दिन के 15:00 बजे से पहले नहीं होगी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत मांगी गई क्षमता के लिए कोई मौजूदा पीपीए नहीं है।

प्रावधान है कि जहां ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से इनकार किया जाता है, राज्य नोडल एजेंसी आवेदक को इसके कारण बताएगी।

(ख) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए पांच हजार रुपये की गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा राज्य नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा, जैसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या राज्य नोडल एजेंसी के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान।

प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का वास्तविक परिचालन इन विनियमों और समय-समय पर आयोग द्वारा पारित आदेशों में निर्दिष्ट शुल्क के आवेदक द्वारा एक दिन पहले के ट्रांजेक्शन के लिए समय-निर्धारण दिन के ठीक पहले दिन के 17:00 बजे से पहले भगतान के अधीन होगा।

आगे प्रावधान है कि कम से कम 12 समय-ब्लॉकों के लिए, उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा ताकि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में उच्च बदलाव से बचा जा सके।

12. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा सेवा का उपयोग, गैर-उपयोग

एक मध्यम अवधि/दीर्घकालिक उपभोक्ता राज्य नोडल एजेंसी/लाइसेंसधारी की पूर्व मंजूरी के बिना ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस समझौते में निर्दिष्ट अपने अधिकारों और दायित्वों को नहीं छोड़ेगा। दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के उपभोक्ता द्वारा ऐसे अधिकारों और दायित्वों का त्याग इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के भुगतान के अधीन होगा।

13. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए शुल्क

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर शुल्क इस प्रकार होंगे:

- (क) ट्रांसमिशन श्ल्क;
- (ख) व्हीलिंग शुल्क;

- (ग) क्रॉस सब्सिडी अधिभार;
- (घ)अतिरिक्त अधिभार;
- (ङ)अतिरिक्त शुल्क जहां भी लागू हो;
- (च) बैंकिंग सुविधा और शुल्क;
- (छ) अन्य शुल्क और प्रभार जैसे एसएलडीसी शुल्क, शेड्यूलिंग शुल्क, प्रासंगिक विनियमों के अनुसार विचलन निपटान (डीएसएम) शुल्क, आयोग के आदेश, ट्रांजेक्शन शुल्क, नियामक अधिभार, मीटरिंग शुल्क, ओपन एक्सेस द्वारा वैधानिक लेवी / करों का भुगतान उपभोक्ता एवं पेंशन ट्रस्ट अधिभार।
- (ज) त्याग (रेलिंक्विशमेंट) और उसके शुल्क
- (झ) आयोग द्वारा अलग आदेश द्वारा परिभाषित कोई अन्य शुल्क

प्रावधान है कि सभी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आरपीओ अनुपालन की मात्रा की सीमा तक व्हीलिंग, पारेषण, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज से छुट दी जाएगी।

13.1 पारेषण शुल्क

पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को यहां बताए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा:

(क) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए:

जैसाकि केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है।

(a) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए:

दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए पारेषण शुल्क समय-समय पर आयोग द्वारा पारित विनियमों तथा/अथवा आदेशों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार होगा।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय पारेषण शुल्क और पारेषण हानियों की लागू दर आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी।

13.2 व्हीलिंग शुल्क

- (क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा अपने सिस्टम के उपयोग के लिए वितरण लाइसेंसधारी को देय व्हीलिंग शुल्क समय-समय पर टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा:
 - (i) आयोग वितरण लाइसेंसधारी के व्हीलिंग शुल्क को निर्दिष्ट करेगा।
 - (ii) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय व्हीलिंग शुल्क की दर आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी।
 - (iii)ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए व्हीलिंग शुल्क की गणना पैसा/किलोवाट में की जाएगी और इसे एनर्जी व्हील्ड पर शुल्क लिया जाएगा।
- (ख) व्हीलिंग शुल्क के अलावा, व्हीलिंग लॉस ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या जेनरेटर पर लागू होगा, जैसा भी मामला हो, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग कर रहा है और यह समय-समय पर टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता सीधे ट्रांसिमशन सिस्टम से जुड़ा है या उपभोक्ता या उत्पादन स्टेशन के स्वामित्व वाली समर्पित लाइनों का उपयोग कर रहा है तो व्हीलिंग शुल्क, व्हीलिंग हानि लागू नहीं होगी।

13.3 क्रॉस सब्सिडी अधिभार

(क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को ट्रांसिमशन तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क के अलावा, आयोग द्वारा

समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक टैरिफ आदेशों के अनुसार क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान करना होगा। प्रति यूनिट के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित क्रॉस सब्सिडी अधिभार, बिलिंग चक्र के आधार पर, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा बिलिंग अविध के दौरान ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई ऊर्जा के आधार पर देय होगा। अधिभार की राशि वितरण लाइसेंसधारी को भुगतान की जाएगी जिसके आपूर्ति क्षेत्र में ऐसा उपभोक्ता स्थित है।

(ख) क्रॉस-सब्सिडी अधिभार का निर्धारण विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में निर्धारित सिद्धांतों और फार्मूले के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा किया जाएगा।

प्रावधान है कि ऐसे क्रॉस-सब्सिडी अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा, जब उस व्यक्ति को वितरण/पारेषण एक्सेस प्रदान की जाती है, जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से ग्रीन एनर्जी खरीदने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए क्रॉस-सब्सिडी अधिभार, ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले ऊर्जा स्रोतों पर, उस वर्ष के लिए निर्धारित अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक, जिसमें ओपन एक्सेस प्रदान किया जाता है, उत्पादन संयंत्र के संचालन की तारीख से बारह वर्षों के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा।।

यह भी प्रावधान है कि यदि गैर-फॉसिल फ्यूल-आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा या रिफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) संयंत्र से उत्पादित बिजली ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है, तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

यह भी प्रावधान है कि यदि ग्रीन एनर्जी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

(ग) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए क्रॉस-सब्सिडी अधिभार की गणना पैसा/किलोवाट में की जाएगी और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर लगाया जाएगा।

13.4 अतिरिक्त अधिभार

- (क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को समय-समय पर आयोग के अधिनियम, नियमों, विनियमों और आदेशों के प्रावधानों पर विचार करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता पर लगाया गया अतिरिक्त अधिभार संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की बिजली खरीद की प्रति यूनिट निर्धारित लागत से अधिक नहीं होगा।
- (ख) वितरण लाइसेंसधारी के साथ अनुबंध की मांग की सीमा तक अतिरिक्त अधिभार ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता पर लागु नहीं होगा।

प्रावधान है कि यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्राप्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मात्रा लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार से अधिक है और अतिरिक्त मात्रा के लिए कोई निश्चित शुल्क या मांग शुल्क का भुगतान या भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में आयोग के आदेशों के अनुसार समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार पर ली गई ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए लागू होगा।

प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त अधिभार उस वर्ष के मूल्य से रैखिक रूप से कम किया जाएगा जिसमें ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान किया गया था, ताकि यदि इस व्यक्ति द्वारा इसका लाभ उठाया जाता रहे, तो अतिरिक्त अधिभार ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की तिथि से चार साल के भीतर समाप्त हो जाएगा।

आगे प्रावधान है कि ऐसे अतिरिक्त अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाए जाएंगे जब उस व्यक्ति को वितरण/पारेषण एक्सेस प्रदान किया जाता है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव जेनरेशन प्लांट स्थापित किया है।

यह भी प्रावधान है कि यदि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र या रिफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) से उत्पादित बिजली ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

यह भी प्रावधान है कि यदि ग्रीन एनर्जी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

आगे प्रावधान है कि अतिरिक्त अधिभार अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के मामले में लागू नहीं होगा, जो दिसंबर, 2032 तक चालू हो जाती हैं और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

13.5 वितरण लाइसेंसधारी से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा बिजली प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क

यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता जेनरेटर, पारेषण प्रणाली और इसी तरह की कटौती के कारण उन उत्पादक स्रोतों से बिजली खरीदने/शेड्यूल करने में असमर्थ है जिनके पास बिजली खरीदने की व्यवस्था है, तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को उपभोक्ता अपनी आपूर्ति के क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की जाएगी और लाइसेंसधारी अतिरिक्त शुल्क एकत्र करने का हकदार होगा, जो आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट प्रचलित दर अनुसूची में संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के सामान्य टैरिफ का 125% होगा।

प्रावधान है कि अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होंगे, यदि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता ने "डी - (माइनस) 1" दिन, "डी दिन होने पर डे अहेड मार्केट के बंद होने के समय से कम से कम एक दिन पहले वितरण लाइसेंसधारी को अतिरिक्त व्यवस्था के लिए बिजली की डिलीवरी के लिए नोटिस दिया है।

यह भी प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के पास किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने का विकल्प होगा।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए अतिरिक्त शुल्क की गणना पैसा/किलोवाट में की जाएगी।

13.6 बैंकिंग स्विधा और श्ल्क

- (क) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले अंतरराज्यीय उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
- (ख) बैंकिंग द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की भरपाई के लिए शुल्क के भुगतान पर कम से कम मासिक/बिलिंग अवधि के आधार पर बैंकिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, बैंकिंग का अर्थ है अधिशेष ग्रीन एनर्जी को 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के आधार पर ग्रिड में अंतः क्षेपित किया जाता है और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी एनर्जी के साथ क्रेडिट किया जाता है और इसे ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को मुआवजा देने के लिए शुल्क के साथ लिया जाएगा।
- (घ) एनर्जी लेखांकन के लिए एनर्जी की बैंकिंग का मूल्यांकन 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के आधार पर किया जाएगा। उपभोग बिंदु पर उपलब्ध ग्रीन एनर्जी जेनरेटर से अंतः क्षेपित एनर्जी और उसी 15 मिनट के समय ब्लॉक आधार पर उपभोक्ता की खपत के बीच के अंतर को बैंक की गई एनर्जी माना जाएगा।
- (ड़) बैंक एनर्जी की खपत पीक अवधि, ऑफ पीक अवधि और सामान्य घंटे (जैसाकि समय-समय पर संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट दिन के समय - टीओडी अवधि में परिभाषित किया गया है) को बिलिंग चक्र के आधार पर निम्नलिखित तरीके से अनुमति दी जाएगी:
 - (i) बिलिंग चक्र में, पीक अवधि के दौरान उपलब्ध बैंक एनर्जी, यदि कोई हो, को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा पीक अवधि, सामान्य घंटों और ऑफ-पीक अवधि के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
 - (ii) सामान्य घंटों के दौरान उपलब्ध बैंक की गई एनर्जी का उपयोग ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा केवल सामान्य घंटों और ऑफ-पीक अवधि के दौरान किया जाएगा।
 - (iii) ऑफ-पीक अवधि के दौरान उपलब्ध बैंक की गई एनर्जी का उपयोग केवल ऑफ-पीक अवधि के दौरान

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।

- (च) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा बैंक की गई एनर्जी की अनुमत मात्रा कुल खपत का कम से कम 30% होगी, केवल वितरण लाइसेंसधारी से सीधे खरीदी गई बिजली पर विचार किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता से या वितरण नेटवर्क का उपयोग करके कैप्टिव उत्पादन के माध्यम से ओपन एक्सेस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त बिजली को इस गणना से बाहर रखा जाएगा।
- (छ) जब जेनरेटर राज्य में या राज्य के बाहर स्थित हो, अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) ग्रिड से जुड़ा हो और राज्य में स्थित उपभोक्ताओं को सीधे बिजली की आपूर्ति कर रहा हो, जो केवल अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली/ग्रिड से जुड़े हैं लेकिन राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क तथा/अथवा राज्य की वितरण प्रणाली से नहीं जुड़े हैं, बैंकिंग सुविधा से संबंधित प्रावधान एमओपी नियमों के साथ पढ़े जाने वाले, लागू सीईआरसी विनियमों के अनुसार शासित होंगे।
- (ज) बैंकिंग शुल्क को बैंक की गई एनर्जी की मात्रा (किलोवाट) के अनुसार 8% की दर से समायोजित किया जाएगा।
- (झ) जब ग्रीन एनर्जी जेनरेटर या तो एनसीटीडी राज्य में या एनसीटीडी राज्य के बाहर स्थित हो और अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली/ग्रिड से जुड़ा हो और राज्य के अंतर-राज्य पारेषण तथा/अथवा वितरण प्रणाली से जुड़े उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति कर रहा हो, उस स्थिति में, बैंकिंग सुविधा एमओपी नियमों के साथ पढ़े जाने वाले, लागू सीईआरसी विनियमों के अनुसार शासित होगी।
- (ञ) बैंक की गई एनर्जी के लिए क्रेडिट को बाद के बिलिंग चक्रों में आगे ले जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी और इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से उसी बिलिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा।

प्रावधान है कि अप्रयुक्त अधिशेष बैंक की गई एनर्जी को प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में व्यपगत माना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन लागू विनियमों के अनुसार व्यपगत बैंक की गई एनर्जी की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) प्राप्त करने का हकदार होगा।

13.7 अन्य शुल्क और प्रभार

(क) शेड्यूलिंग शुल्क

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अल्पकालिक ओपन एक्सेस के लिए शेड्यूलिंग चार्ज रु. 2000/दिन/अनुमोदन का भुगतान करना होगा और दीर्घकालिक ओपन एक्सेस और मध्यम अवधि ओपन एक्सेस के मामले में यह संबंधित वर्ष के लिए एसएलडीसी के संबंध में आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार होगा।

(ख) भुगतान सुरक्षा तंत्र

बिजली के पारेषण तथा/अथवा व्हीलिंग के लिए हस्ताक्षरित समझौते की प्रस्तुति के समय, दीर्घकालिक ओपन एक्सेस, मध्यम अविध ओपन एक्सेस के लिए ओपन एक्सेस चाहने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को दो महीने की अविध के लिए विभिन्न शुल्कों की अनुमानित राशि के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्कों के संग्रह के लिए जिम्मेदार एजेंसी के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय रिवॉलिंवंग लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करना होगा। जबिक शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस के मामले में, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा उस पूरी अविध के लिए अग्रिम भुगतान सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिसके लिए ओपन एक्सेस मांगा गया है। जैसािक ऊपर कहा गया है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैध भुगतान सुरक्षा साधन के अभाव में, कोई ओपन एक्सेस नहीं दिया जाएगा।

ऐसी एलसी/बीजी राज्य नोडल एजेंसी तथा/अथवा लाइसेंसधारी को उनके द्वारा दी गई और ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा प्राप्त ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध होना चाहिए। राज्य नोडल एजेंसी तथा/अथवा लाइसेंसधारी को भुगतान सुरक्षा के रूप में उपर्युक्त वैध वित्तीय उपकरण प्रदान करने में विफलता पर दी गई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को रद्द माना जाएगा।

13.8 त्याग (रेलिंक्विशमेंट) और उसके शुल्क

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणालियों में ओपन एक्सेस क्षमता के कम उपयोग या गैर-उपयोग को छोड़ने का विकल्प निम्नलिखित शर्तों और शुल्कों के अधीन होगा:

(क) दीर्घकालिक एक्सेस:

एक दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार से मांगी गई अवद्ध त्याग क्षमता के लिए मुआवजे का भुगतान करके दीर्घकालिक एक्सेस की पूर्ण अविध की समाप्ति से पहले दीर्घकालिक एक्सेस अधिकारों को पूरी तरह या आंशिक रूप से त्याग सकता है: -

(i) दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता जिसने कम से कम 5 वर्षों तक एक्सेस अधिकारों का लाभ उठाया हो

- 1. एक (1) वर्ष की सूचना यदि ऐसा कोई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता उस तिथि से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले राज्य पारेषण उपयोगिता/ पारेषण लाइसेंसधारी तथा/अथवा वितरण लाइसेंसधारी को आवेदन जमा करता है, एक्सेस अधिकार छोड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 2. एक (1) वर्ष से कम की सूचना यदि ऐसा कोई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता उस तिथि तक जब तक ऐसा उपभोक्ता पहुंच अधिकार छोड़ना चाहता है, 1 (एक) वर्ष की अविध से कम समय में किसी भी समय राज्य पारेषण उपयोगिता/पारेषण लाइसेंसधारी तथा/अथवा वितरण लाइसेंसधारी को आवेदन जमा करता है, ऐसे उपभोक्ता को एक (1) वर्ष की सूचना अविध से कम होने वाली अविध के लिए अनुरोधित पारेषण क्षमता तथा/अथवा वितरण क्षमता के लिए पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क के 66% के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

(ii) दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता जिसने कम से कम 5 (पांच) वर्षों तक एक्सेस अधिकारों का लाभ नहीं उठाया है

1. ऐसे उपभोक्ता को एक्सेस अधिकार के वर्ष 5 (पांच) से कम अवधि के लिए अनुरोधित पारेषण क्षमता तथा/अथवा वितरण क्षमता के त्याग के लिए अनुमानित पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करना होगा:

प्रावधान है कि ऐसा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता राज्य पारेषण उपयोगिता/पारेषण लाइसेंसधारी तथा/अथवा वितरण लाइसेंसधारी को उस तिथि से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिससे ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकार छोड़ना चाहता है:

आगे प्रावधान है कि यदि कोई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता किसी भी समय एक वर्ष से कम की नोटिस अविध की सेवा देकर दीर्घकालिक पहुंच अधिकारों को त्यागने के लिए आवेदन जमा करता है, तो ऐसे उपभोक्ता को एक्सेस अधिकारों के 5 (पांच) वर्ष से कम अविध के लिए अनुरोधित पारेषण क्षमता तथा/अथवा वितरण क्षमता के त्याग के लिए अनुमानित पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के अलावा एक (1) वर्ष की नोटिस अविध से कम होने वाली अविध के लिए अनुमानित पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

- 2. उपरोक्त धारा (13.8) की उप-धारा (ए)(ii)(1) में निर्दिष्ट अनुसार छूट दर जो शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना के लिए लागू होगी, ऊर्जा मंत्रालय के 'वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश' या समय-समय पर केंद्रीय आयोग द्वारा जारी किसी भी संबंधित अधिसूचना में बोली मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट छूट दर के अनुसार होगी।
- 3. दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा छोड़ी गई पारेषण क्षमता तथा/अथवा

वितरण क्षमता के लिए भुगतान किया गया मुआवजा, उस वर्ष में अन्य दीर्घकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता और मध्यम अवधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय पारेषण शुल्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें ऐसे दीर्घकालिक उपभोक्ता और मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा उस वर्ष के लिए देय पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क के अनुपात में भुगतान देय होगा।

(ख) मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता

एक मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता राज्य नोडल एजेंसी को कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना देकर, पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकार छोड़ सकता है:

प्रावधान है कि अपने अधिकारों को त्यागने वाले मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को त्याग की अवधि या 30 दिन जो भी कम हो, के लिए लागू पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ग) अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता

(i) राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अग्रिम रूप से या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए गए अल्पकालिक ओपन एक्सेस शेड्यूल को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा राज्य नोडल एजेंसी को किए गए इस आशय के आवेदन पर रद्द या संशोधित किया जा सकता है:

प्रावधान है कि अल्पकालिक ओपन एक्सेस शेड्यूल का ऐसा रद्दीकरण या कम करने का संशोधन न्युनतम दो (2) दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले प्रभावी नहीं होगा:

आगे प्रावधान है कि वह दिन जिस दिन राज्य नोडल एजेंसी को कार्यक्रम को रद्द करने या कम करने का नोटिस दिया जाता है और जिस दिन से ऐसा रद्दीकरण या कम किया जाने वाला संशोधन लागू किया जाना है, दो (2) दिनों की अविध की गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

- (ii) अल्पकालिक ओपन एक्सेस शेड्यूल को रद्द करने या कम करने की मांग करने वाले व्यक्ति को उस अविध के पहले दो (2) दिनों के लिए पारेषण शुल्क तथा/अथवा व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए शेड्यूल को रद्द करना या कम करना होगा, जैसा भी मामला हो, राज्य नोडल एजेंसी द्वारा मूल रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार हो सकता है, और उसके बाद ऐसे रद्दीकरण या कम करने के संशोधन की अविध के दौरान राज्य नोडल एजेंसी द्वारा तैयार संशोधित कार्यक्रम के अनुसार होगा।
- (iii) रद्दीकरण के मामले में, इन विनियमों में निर्दिष्ट एसएलडीसी परिचालन शुल्क दो (2) दिनों या दिनों में रद्दीकरण की अवधि, जो भी कम हो, के लिए देय होगा।

14 कटौती प्राथमिकता

यदि पारेषण/वितरण प्रणाली की बाधाओं के कारण या अन्यत्र, सेवा में कटौती करना आवश्यक हो, तो निम्नलिखित प्राथमिकता का पालन किया जाएगा:

- (a) सबसे पहले अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के अलावा) की सेवा में कटौती की जाएगी, उसके बाद अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की सेवा में कटौती की जाएगी।
- (b) इसके बाद, मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ता (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के अलावा) और उसके बाद मध्यम अवधि के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता की सेवा में कटौती की जाएगी।
- (c) तत्पश्चात, दीर्घकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के अलावा) और उसके बाद दीर्घकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता की सेवा में कटौती की जाएगी।

प्रावधान है कि एक श्रेणी के भीतर, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को समान कटौती प्राथमिकता दी जाएगी और आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी। आगे प्रावधान है कि अंतिम उपाय के रूप में वितरण लाइसेंसधारियों की संख्या में कटौती की जाएगी।

15 मीटरिंग

1 मेगावाट और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को जेनरेटर के अंत, इंटरफेस पॉइंट, उपभोग स्थान पर चार क्वाड्रेंट एबीटी अनुपालन मीटर प्रदान करना होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुरूप होगा, जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

प्रावधान है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जो वितरण लाइसेंसधारी का भी उपभोक्ता है और 1 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मांग कर रहा है, को लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता के विवेक के अनुसार उपभोग स्थल पर ग्रीन एनर्जी के ओपन एक्सेस के लिए बिलिंग और एनर्जी लेखांकन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके विनियमों में सीईए द्वारा निर्दिष्ट 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के आधार पर एनर्जी रिकॉर्डिंग में सक्षम विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे और राज्य पारेषण उपयोगिता, वितरण लाइसेंसधारी या राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

सभी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता सीईए के मीटरिंग मानकों का पालन करेंगे।

16 ग्रिड कोड, वितरण कोड, विनियमों, आदेशों आदि का अनुपालन

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता समय-समय पर लागू राज्य ग्रिड कोड, वितरण कोड और अन्य सभी कोड्स और मानकों, डीएसएम विनियमों तथा आयोग के अन्य विनियमों एवं आदेशों का पालन करेंगे।

17 शुल्कों का संग्रहण एवं संवितरण

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क इन विनियमों में निर्दिष्ट भुगतान के नियमों और शर्तों के अनुसार सीधे राज्य नोडल एजेंसी और वितरण लाइसेंसधारियों को देय होगा। राज्य नोडल एजेंसी प्राप्त राशि को उपयुक्त लाइसेंसधारियों को वितरित करेगी।

18 सूचना प्रणाली

- (क) एसएलडीसी निम्नलिखित जानकारी को 'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस इंफॉर्मेशन' नामक एक अलग वेब पेज में पोस्ट करेगा और निम्नलिखित जानकारी वाली एक मासिक और वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेगा:
 - (i) दीर्घकालिक/मध्यम अवधि/अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर एक स्थिति रिपोर्ट
 - (ii) भीड़भाड़ की स्थिति में बोली लगाने के लिए न्यूनतम दर।
 - (iii) पीक लोड ईएचवी पर प्रवाहित होता है।
 - (iv) मासिक आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित पारेषण प्रणाली में औसत हानि और आयोग द्वारा अपने संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित वितरण हानि के बारे में जानकारी।
- (ख) स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन पर जानकारी अद्यतन की जाएगी।
- (ग) सभी पिछली रिपोर्टें वेब-आर्काइव्ज में उपलब्ध होंगी।
- (घ) एसएलडीसी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक महीने के भीतर उपरोक्त जानकारी को अपनी वेबसाइट पर होस्ट करेगा।

19 रिपोर्ट

पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी आयोग को या इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

20 विवाद समाधान

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से इनकार करने वाले सभी आदेश संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा दिए गए आदेश होंगे।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से संबंधित सभी विवाद और शिकायतें संबंधित राज्य नोडल एजेंसी, अर्थात् एसएलडीसी/एसटीयू/वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत की जाएंगी, जो शिकायत को हल करने का प्रयास करेगी और उचित आदेश पारित करेगी।

संबंधित नोडल एजेंसी के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष की जाएगी, जैसाकि एमओपी, भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के नियम 7 के उप-नियम (4) के तहत प्रदान किया गया है।

यह आयोग तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और इसके द्वारा जारी आदेश पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

21 आदेश एवं निर्देश जारी करना

विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

22 निर्देश देने का अधिकार

आयोग के पास समय-समय पर ऐसे निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार होगा जो इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

23 छूट देने, संशोधन करने और कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष रखे गए किसी आवेदन पर छूट प्रदान कर सकता है।

आयोग के पास समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने, पलटने, निलंबित करने, संशोधित करने, सुधार करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, एक आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधानों से असंगत न हों, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

24 निरसन और रक्षण

इन विनियमों की विषय-वस्तु के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए सभी पिछले आदेश, अधिसूचनाएं आदि तब तक निरस्त माने जाएंगे, जब तक वे यहां निहित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

यहां ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, ग्रीन एनर्जी (आरई) सिहत मौजूदा उपभोक्ता/जेनरेटर मौजूदा दिए गए ओपन एक्सेस के तहत शासित होते रहेंगे और वे मौजूदा ओपन एक्सेस विनियमों के तहत मौजूदा समझौतों के अनुसार उन समझौतों या आयोग के आदेशों में निर्दिष्ट ओपन एक्सेस की अविध के लिए ग्रीन एनर्जी (आरई)/ग्राहक/लाइसेंसधारी/जेनरेटर के लिए ओपन एक्सेस का लाभ उठाएंगे।

राजेश दाँगी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 12th November, 2024

Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms And Conditions For Green Energy Open Access) Regulations, 2024

F. 17(17)/Engg./DERC/2023-24/C.F.No.8020/1568.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 42, 61(h), 66 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024 for implementation in the National Capital Territory of Delhi.

1. Short Title, Extent and Commencement

- (a) These Regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024.
- (b) These Regulations shall extend to the whole of National Capital Territory of Delhi.
- (c) These Regulations shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Applicant" means an entity, trading licensee, distribution licensee or a Generator who has applied for seeking Green Energy Open Access, as the case may be;
- (c) "Appropriate Commission" means the Central Regulatory Commission referred to in sub-Section (1) of Section 76 or State Regulatory Commission referred to in Section 82 or Joint Commission referred to in Section 83 of the Act, as the case may be;
- (d) "Banking" means the surplus green energy injected in the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate additional costs, if any;
- (e) "Captive Generating Plant" (CGP) means a power plant set up under Section 9 of the Electricity Act, 2003 by any person to generate the electricity primarily for its own use and includes a power plant set by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such co-operative society or association, which fulfills the conditions laid down in the Electricity Act, 2003 and Rules framed thereunder;
- (f) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in subsection (1) of Section 76 of the Act;
- (g) "Central Nodal Agency" means a Central Nodal Agency as notified by the Central Government to set up and operate a single window Green Energy Open Access system for Green Energy (Renewable Energy) as specified by the Ministry of Power, GoI, in the Electricity (Promoting Renewable Energy through Green Energy Open Access) Rules, 2022;
- (h) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission constituted under the Act;
- (i) "Consumer" means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be;
- (j) "Developer" means the generating company which generates electrical energy from renewable sources of energy;
- (k) "Day Ahead Market (DAM)" means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
- (1) "Entity" means any consumer who has contracted demand or sanctioned load of Hundred (100) KW or more either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) KW or more, connected at 11kV or above, located in the area of a same distribution licensee, except

for captive consumers.

Provided that there shall not be any load limitation for setting up of Green energy projects for captive use with respect to the consumer's contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms;

- (m) "Existing Open Access Consumer/Customer" means a person already availing open access for sourcing/supplying renewable (green) energy from/to the transmission system and/or distribution system of the licensees in the State under an existing agreement or Commission's Regulations/Orders on the date of coming into force of these Regulations;
- (n) "Fossil Fuel" means fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel, or combination of these as its primary source of energy, which are used in Thermal Generating Station for generating electricity;
- (o) "Green Energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilizes green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia and any other sources as may be determined by the Central Government as per the provision of Clause G of sub-rule (2) of rule 4 of Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access), Rules 2022;
- (p) "Green Energy Open Access Consumer" means any person who has contract demand or sanctioned load of Hundred (100) kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more, connected at 11kV or above, located in electricity area of a same distribution licensee, who is supplied with electricity from green energy sources for his own use by a licensee or the Government or from its own Captive Generation Plant or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a licensee, the Government or such person, as the case may be.

Provided that there shall not be any load limitation for setting up of Green energy projects for captive use with respect to the consumer's contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms availing power under Green Energy Open Access;

- (q) "Open Access" means the non-discriminatory provisions for use of transmission lines and/or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensees or consumers or a person engaged in generation in accordance with the Regulations specified by the Appropriate Commission;
- (r) "Person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not or artificial juridical person;
- (s) "Premises" includes any land, building or structure;
- (t) "Renewable Energy Sources" means Renewable Sources such as large hydro as specified under Regulation 4(2)(a), small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and/or such other source(s) recognized by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) or any other agency as notified by Government of India or the Commission;
- (u) "Rules" means Rules made under the Electricity Act, 2003 including Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022, as amended from time to time;
- (v) "State" means the National Capital Territory of Delhi (NCTD);
- (w) "State Transmission Utility" means the Board or the Government company specified as such by the State Government under sub-Section (1) of Section 39 of the Act;
- (x) "State Nodal Agency" (SNA) means the Nodal Agency for grant of open access in the National Capital Territory of Delhi;

Delhi State Load Dispatch Centre shall operate as the State Nodal Agency for grant of Short-Term Open Access to Intra-State Transmission System in conjunction with or without Distribution Network of Distribution Licensee of the State.

The State Transmission Utility (STU) shall operate as a State Nodal Agency for grant of Medium-Term and Long-Term Open Access to the Intra-State Transmission Network in conjunction with or without Distribution Network of Distribution Licensee of the State.

The Distribution Licensee shall operate as a Nodal Agency in co-ordination with the SNA for grant of Open Access for the cases wherein the inter-se location of drawl and injection points fall on the Distribution Network of the concerned Distribution Licensee;

- (y) "State Load Dispatch Centre" means State Load Dispatch the Centre established under sub-Section (1) of Section 31 of the Act;
- (z) "Standby Arrangement" means Standby Arrangement provided by the distribution licensee in case the Green Energy Open Access consumer is unable to procure / schedule power from the generating sources with which they have the arrangement to avail the supply due to outages of such generators, transmission assets and the like;
- (aa) "Standby Charges" means the charges applicable to green energy open access consumers against the standby arrangement provided by the distribution licensee, in case such green energy open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with which they have the agreements to procure, power due to outages of generator, transmission systems and the like;
- (bb) "Wheeling" means the operation whereby the distribution system and associated facilities of transmission licensee or distribution licensee, as the case may be, are used by another person for the conveyance of electricity on payment of charges to be determined under Section 62 of the Act;

3. Interpretation of Regulations

In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Rules, the IEGC or State Grid Code or State Distribution Code or State Electricity Supply Code shall have the meaning assigned to them under the Act or Rules, IEGC or any other Regulations notified by the Commission as the case may be.
 - (b) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as amended from time to time, shall apply for the interpretation of these regulations as it applies for interpretation of an Act of Parliament.
 - (c) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively.
 - (d) The terms "include" or "including" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import.
 - (e) References herein to the "Regulations" shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force.
 - (f) The headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations.
 - (g) References to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending, or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be, referred to.
 - (h) In case of inconsistency between any provisions of these Regulations and any other Regulations or order passed by the Commission, the principle of harmonious interpretation shall be applied. Even thereafter, if inconsistency persist, the provisions of these Regulations shall prevail.

4. Scope

These Regulations shall be applicable for allowing Open Access to electricity generated from green energy sources, as defined herein above, and also to the energy from non-fossil fuel based Municipal Solid Waste-to-Energy or Refuse-Derived Fuel (RDF) plants for use of Intra-State Transmission System (InSTS) or distribution system or both in the State including Intra-State Transmission System(s) (InSTS) and/or Distribution System (s) which are incidental to Inter- State Transmission of electricity.

5. Criteria for Allowing Green Energy Open Access

(a) The Long-Term Green Energy Open Access shall be allowed in accordance with the transmission planning criteria and distribution business plan.

- (b) The Short-Term/Medium-Term Green Energy Open Access shall be allowed, if the request can be accommodated, by utilizing:
 - i Inherent design margins;
 - ii Margins available due to variation in power flows and;
 - iii Margins available due to in-built spare transmission system capacity and/or distribution system capacity created to cater to future load growth;
- (c) Installation of energy meter i.e., ABT compliant meter at generator end as well as at consumer end seeking open access for 1 MW and above. While in case of consumer seeking open access below 1 MW, installation of Special Energy Meter capable of energy recording on 15 minutes' time block basis.
- (d) No dues of concerned licensee and/or SNA.

6. Categorization of Green Energy Open Access:

The Green Energy Open Access consumers shall be classified into the following categories based on the duration of use of the Intra- State transmission and/or distribution system:

- (a)" Long-term Green Energy Open Access" means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding five years but not exceeding 25 years.
- (b)" Medium-term Green Energy Open Access" means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding eleven months but not exceeding five years.
- (c)" Short-Term Green Energy Open Access" means open access for a period up to eleven months.

Provided that on expiry of Short-term Green Open Access, irrespective of the period for which the same was granted, if such consumer desires to avail the Short-Term Green Energy Open Access for a further period, it shall be required to file a fresh application and the priority shall be fixed on the basis of date of submission of such fresh application.

7. Application procedure for Green Energy Open Access

(a) All applications for Green Energy Open Access shall be made in the prescribed Form along with necessary documents, details, and fee if any, to be submitted to the Central Nodal agency in accordance with these Regulations. The applications shall be forwarded to the State Nodal Agency (SNA) by the Central Nodal Agency.

The State Nodal Agency (SNA) shall forward the Application to the concerned Distribution Licensee for the cases wherein the inter-se points of drawl and injection falls on the Distribution Network of the respective Distribution Licensee and concerned Distribution Licensee shall process the application in accordance with these Regulations.

Provided that, till such time, the procedures and formats are devised by Central Nodal Agency, the existing procedures / formats laid down by the respective State Nodal Agency for granting open access may be followed in the matter.

- (b) All applicants seeking Green Energy Open Access shall submit an undertaking of not having entered into Power Purchase Agreement (PPA) or any other bilateral agreement with more than one person for the capacity (quantum of power) for which Green Energy Open Access is sought.
 - Notwithstanding anything contained in Regulation 7(b) above, a drawee entity (consumer/distribution licensee) shall be eligible to enter into Power Purchase Agreement (PPA) or any other bilateral agreement with more than one person within the quantum of Green Energy Open Access granted or sought by it.
- (c) The State Nodal Agency shall coordinate with transmission licensees including STU and the Distribution Licensees to make available all relevant information regarding green energy open access to the public on the portal of the Central Nodal Agency.

8. Eligibility Criteria for applying Green Energy Open Access

(a) The Consumer who has contracted demand or sanctioned load of Hundred (100) KW or more, connected at 11kV or above, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more located in area of a same distribution licensee, shall be eligible for Open Access for sourcing Green Energy (RE) under these Regulations.

Provided that in case of a consumer having Captive Generating Plant, there shall not be any load limitation in terms of contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms.

- (b) For a minimum number of 12 time blocks, the consumer shall not change the quantum of power consumed through Green Energy Open Access so as to avoid high variations in demand to be met by the distribution licensee.
- (c) Subject to the provisions of these Regulations and system availability, consumers, licensees and/or generating company shall be eligible for Green Energy Open Access to the Intra-State Transmission System of the State Transmission Utility or any Transmission Licensee(s) and/or Distribution System(s) of the Distribution Licensee within the State on payment of transmission, wheeling charges and other charges as may be determined by the Commission from time to time. The Green energy open access consumer shall have to install ABT Compliant meters/Special Energy Meter at their place for energy accounting and Remote Terminal Unit (RTU) to facilitate SLDC in real time monitoring, which shall be duly certified by the licensee concerned.

Provided that Green Energy Open Access consumer seeking open access below 1 MW, shall be allowed based on installation of Special Energy Meter capable of energy recording on 15 minutes time block basis.

Provided that notwithstanding anything contained in these Regulations, any Green Energy (RE) Generating Company having subsisting Power Purchase Agreement (PPA) with the Distribution Licensee, shall not be entitled to Green Energy Open Access for the Green Energy (RE) capacity, for which PPA is entered into as well as for any capacity (quantum of power) for which Open Access is already granted, except in accordance with the terms of such PPA.

- (d) Every person, who has constructed a Captive Generating Plant (CGP) shall have the right to open access as per the provisions of Section 9 and other provisions of the Act read with Rules and Regulations framed under the Act and Order(s) of the Commission on the subject matter.
- (e) The consumer seeking Green Energy Open Access shall submit the application to the Central Nodal Agency.

9. Allotment Priority

- (a) Distribution licensee shall have the highest priority over other Green Energy Open Access consumers.
- (b) Green Energy Open Access consumers shall have preference (priority) over normal Open Access consumers in the same category of open access.
- (c) Amongst the Green Energy Open Access consumers, Long-Term Green Energy Open Access consumers shall have preference (priority) followed by Medium-Term Green Energy Open Access consumers and subsequently Short-Term Green Energy Open Access consumers, at any given time, subject to availability of spare transmission/distribution system capacity margins.

Provided that the Green Energy Open Access shall be granted on a first-come, first-serve basis.

10. Procedure for grant of Green Energy Open Access

(a) Once the application is forwarded to the concerned State Nodal Agency by the Central Nodal Agency for further verification, the same shall be decided by the State Nodal Agency within 15 days from the date on which the application is received by State Nodal Agency from Central Nodal Agency.

The following time schedules shall be followed for processing the Application:

Sr. No.	Particulars	Time-Line	Remarks
1	Date on which application is received by State Nodal Agency from Central Nodal Agency.	T0 = Zero Date	
2	Acknowledgement of receipt of Application.	T0 = Zero Date	The acknowledgement shall be provided immediately by electronic mode.
3	Acceptance of application by State Nodal Agency after confirming that all the relevant documents	T0 + 1 working day	In case the application is incomplete, the State Nodal Agency shall inform the same to the applicant in writing and reject the application furnishing the

	are furnished by the applicant including processing fees and BG.		details of the defects. After rectifying the defects, a fresh application shall be required to be made.
4	Forwarding of application to STU / concerned DISCOMs.	T0 + 3 working days	On acceptance of the application, the same shall be forwarded to STU/concerned DISCOMs for ensuring the system availability, metering infrastructure, no pending dues and that there is no subsisting PPA for the capacity for which the Green Energy Open Access is sought.
5	Intimation from STU/DISCOMs.	T0 + 7 working days	Upon the receipt of application STU/DISCOMs shall carry out the system study, to assess availability of all necessary infrastructure and other infrastructure, if required, and confirmation of no pending dues.
			In case margin is available in the network and also availability of necessary infrastructure then STU/DISCOMs shall intimate to the State Nodal Agency about validity
			of the application.
			In case of Long Term Open Access LTOA), if system strengthening is required, STU/DISCOM shall intimate to the Applicant and State Nodal Agency regarding the work involved for system strengthening.
			In case system strengthening is required, probable date of granting Green Energy Open Access shall be intimated to State Nodal Agency within the same time.
			In case intimation is not received within the specified time from STU/DISCOM, as the case may be, the State Nodal Agency shall deem it to be a valid application.
			Provided that the system studies at the drawl point to ascertain the availability of necessary infrastructure is not required for a consumer of the licensee availing Open Access, subject to the applicant furnishing an undertaking that, he would not exceed the contract demand specified in his supply agreement with the licensee even after opting for green energy Open Access.
			Provided that there shall not be any load limitation for setting up of Green energy projects for captive use with respect to the consumer's contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms availing

			power under Green Energy Open Access.
6	Intimation by State Nodal Agency to the Applicant.	T0 +8 working days	The State Nodal Agency shall intimate the Applicant, regarding the validity of the Application for grant of Green Energy Open Access within the time specified.
			In case Green Energy Open Access cannot be granted, the same shall be intimated by the State Nodal Agency to the Applicant within the above time furnishing the reasons in writing for non-grant of Green Energy Open Access sought.
			In case, State Nodal Agency fails to intimate the grant of Green Energy Open Access or otherwise, within the above specified time, the same shall be deemed to have been granted, to be subject to system availability.
7	Submission of signed Agreement by the applicant for Medium- Term and Long-Term Green Energy Open Access.	T0 + 10 working days	The applicant shall submit signed Transmission and/or Wheeling Agreement to the licensee to be executed and obtain due acknowledgment of the designated authority notified by the concerned
			licensee for such submission.
			In case the Applicant fails to submit the Transmission and/or Wheeling Agreement within the specified time, the Open Access granted shall be deemed to have been cancelled.
8	Execution of agreement by STU/ DISCOMs and return of the executed agreement to the applicant.	T0 + 13 working days	The concerned authority will ensure execution of Agreement with the Applicant within three days and shall also provide the copy of such executed Agreement and obtain due acknowledgment of the applicant.
			The time limit for signing of Transmission Agreement by STU and Wheeling Agreement by distribution licensee shall be three days, even where it is required to sign both the Agreements.
			The Transmission and Wheeling Agreement to be executed, shall be in the standard format, which shall be prepared by State Nodal Agency.
			Agency / licensee(s) as approved by the commission.
			The existing wheeling/transmission agreement as modified and as approved from the commission for RES and non-REC route projects om accordance with

			these regulations shall be adopted.
9	Submission of signed copies of the executed agreement/Undertaking by the applicant to SNA.	T0 + 15 working days	Thereafter, the Applicant within two days of receipt of such executed Agreement(s) shall submit copy(ies) of signed Transmission and/or Wheeling agreement to the State Nodal Agency and the State Nodal Agency shall provide acknowledgement of receipt.
			In case STU / DISCOMs fail to sign and execute the Transmission and/or Wheeling Agreement submitted by the applicant within the specified time above, the Transmission and/or Wheeling Agreement shall be deemed to have been executed.
			In case of deemed execution, the provisions of standard Agreement(s) approved by the Commission shall be applicable and binding.
			In case of deemed execution of agreement(s), the applicant shall be allowed transmission and / or wheeling of energy from the effective date subject to filing of an 'Undertaking' on affidavit that it shall avail the transmission and / or wheeling of energy and terms & conditions of the deemed approved Agreement(s) are binding on it.
10	Effective date for wheeling.	In case the State Nodal Agency receives from the applicant the copy(ies) of the executed agreement(s)/ 'Undertaking' on Affidavit with regard to deemed execution of agreement, as the case may be, the effective date for commencement of Green Energy Open Access of the applicant shall be the next date from the day of submission of Executed copy(ies) of the agreement(s)/undertaking to the State Nodal Agency.	The applicant shall be allowed to wheel the energy from the effective date.

- (b) An application for open access shall be accompanied with the proof of payment of a non-refundable processing fee, as detailed herein below, to the State Nodal Agency:
 - (i) Rupees Fifty Thousand for Long-Term Green Energy Open Access,
 - (ii) Rupees Twenty-Five Thousand for Medium-Term Green Energy Open Access, and
 - (iii) Rupees Five Thousand for Short-Term Green Energy Open Access.
- (c) An application for a Short-Term Green Energy Open Access, for Green Energy Generating plant(s) or its/their generating unit(s) which are yet to be commissioned, shall be submitted not before two months prior to the commissioning date of such Green Energy Generating plant(s) or its/their generating unit(s), to avoid unnecessary blocking of corridor.

- (d) An application for Long-Term/Medium-Term Green Energy Open Access shall be accompanied by a Bank Guarantee (BG) of Rupees Fifty thousand (Rs. 50,000/-) for Green Open Access capacity less than 1 MW and Rupees One lakh per MW (Rs. 1,00,000/- per MW) for 1 MW & above which shall be kept valid and subsisting till the signing of agreement for transmission and/or wheeling of electricity and such BG shall be encashed by the State Nodal Agency, if the application is withdrawn by the applicant prior to the signing of such agreement. On signing of the agreement for transmission and/or wheeling of electricity, the BG shall be returned within 25 working days to the applicant by the State Nodal Agency.
- (e) In case there is any material change with regards to the location of the injection point or quantum of power to be interchanged using the intra-State transmission and/or distribution system, a fresh application shall be required to be submitted for the entire capacity to ascertain the system availability and such application shall be accompanied by relevant documents and application fees. Moreover, in case of Long-Term and Medium-Term Green Energy Open Access, bank guarantee shall also be required to be furnished for the additional capacity. It is also clarified that in case the additional capacity sought for cannot be accommodated in the existing network, the applicant shall be entitled to Green Energy Open Access to the extent of his original allotment.
- (f) The Bank Guarantee (BG) shall be returned by the State Nodal Agency (SNA) within 25 working days; (i) from the date of submission of signed agreement by open access consumer to the State Nodal Agency (SNA), in case of deemed approval considered for open access; (ii) from the date of rejection of application for open access by SNA on ground of non-availability of margin in the network and; (iii) from the date of rejection of application by SNA due to any deficiency or defect. In case of rejection of application on a ground of any deficiency or defect a fresh application to the Central Nodal portal shall be required to be submitted by the applicant after curing the deficiency or defect.
- (g) The State Nodal Agency shall communicate to the applicant through a recognized mode of communication regarding the grant of Green Energy Open Access or otherwise.
- (h) Further, during the pendency of application for grant of Green Energy Open Access, the applicant shall not inject any energy to the licensees' network and the licensee shall not be liable to pay any charges for the energy injected during such period if any.
- (i) The Transmission Licensee(s), Distribution Licensee(s), SLDC and STU shall ensure proper coordination while arranging for Green Energy Open Access.
- (j) New Green Energy (RE) generating plant(s) or generating Unit(s) or generating company(ies) which has/have obtained connectivity on its name, shall apply for seeking Long-Term Green Energy Open Access and enter into agreement for wheeling and/or transmission on its name, and shall commission such plant(s) or unit(s) within twenty-four months from the date of Green Energy Open Access Application, or the schedule date of commencement of open access/COD of the plant as specified in the respective PPA/transmission agreement/wheeling agreement, whichever is earlier, as case may be, failing which, the Green Energy Open Access granted shall be deemed to have been cancelled, to avoid unnecessary blocking of the corridor.
 - Provided that in case the project developer is ready for commissioning of the project but such projects are unable to commission due to non-availability of transmission/distribution network on account of failure of licensee, such generator or generating company shall have the liberty to approach the Commission, with supporting documentary evidence, for extension of COD, preferably, prior to three (3) months from the date of the completion of timelines as specified above.
- (k) A Green Energy Open Access consumer shall enter into commercial agreements with generators or generating company, trading licensee, distribution licensee, as may be applicable, and such agreements shall include provisions pertaining to payment security mechanism.
- (l) The State Nodal Agency shall host on its website the details of every application received from the Central Nodal Agency and update the status of such application on a continuous basis, which shall be made available to the public.
- (m) The State Nodal Agency/Distribution Licensee shall prepare procedure for grant of Green Energy Open Access consisting of documents, formats etc. required to be submitted for Green Energy Open Access in line with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Orders and Procedure followed by Central Nodal Agency, for smooth implementation of the Green Energy Open Access in the State and get the same approved from the Commission within 90 days from the date of Notification of these Regulations.

11. Procedure for applying for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions

(a) The applicant shall apply to the Central Portal for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions in the standard application format. For the applications received by the State Nodal Agency from the Central Nodal Agency, before 13:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead Green Energy Open Access transaction, the State Nodal Agency shall check for congestion in the system and convey grant of approval or otherwise to the applicant through e-mail or fax, not later than 15:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead transaction, after ensuring that there is no subsisting PPA for the capacity sought under Green Energy Open Access.

Provided that where Green Energy Open Access is denied, the State Nodal Agency shall furnish reasons thereof to the applicant.

(b) Non-refundable processing fee of Five Thousand Rupees for each transaction shall be paid by the applicant, in the manner as prescribed by the State Nodal Agency like by way of a demand draft or payment through electronic transfer in favour of the State Nodal Agency.

Provided that the actual operationalization of Green Energy Open Access shall be effected subject to payment by the applicant of the charges as specified in these Regulations and orders passed by the Commission from time to time, before 17:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead transaction.

Provided further that for a minimum of 12 time-blocks, the consumer shall not change the quantum of power consumed through open access so as to avoid high variations in demand to be met by the distribution licensee.

14. Utilization, Non-Utilization of Service by Green Energy Open Access Consumers

A medium-term/long-term consumer shall not relinquish his rights and obligations specified in the Green Energy Open Access agreement without prior approval of the State Nodal Agency/licensee. The relinquishment of such rights and obligations by a long-term and medium-term consumer shall be subject to payment of compensation, as per the provisions of these Regulations.

15. Charges for Green Energy Open Access

The charges on Green Energy Open Access consumers shall be as follows:

- (a) Transmission charges;
- (b) Wheeling charges;
- (c) Cross subsidy Surcharge;
- (d) Additional Surcharge;
- (e) Standby Charges wherever applicable;
- (f) Banking facility and Charges;
- (g) Other fees and charges such as SLDC fees, scheduling charges, deviation settlement (DSM) charges as per the relevant Regulations, Orders of the Commission, transaction charges, Regulatory Surcharge, Metering Charges, Payment of statutory levies/taxes by Open Access Consumers and Pension Trust Surcharge.
- (h) Relinquishment and its Charges
- (i) Any other charges as defined by Commission by separate order

Provided that all green energy open access consumer shall be exempted from the Wheeling, Transmission, Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge to the extent of quantum of RPO compliance.

13.1 Transmission Charges

Green Energy Open Access Consumer using transmission system shall pay the charges as stated hereunder:

(b) For use of inter-State transmission system:

As specified by the Central Commission from time to time.

(c) For use of intra-State transmission system:

The Transmission Charges for Long-Term, Medium-Term and Short-Term Green Energy Open Access shall be as per the prevailing provisions of the Regulations and/or Orders passed by the Commission from time to time.

The applicable rate of Transmission Charge and transmission losses payable by Green Energy Open Access Consumer shall be specified by the Commission in its Tariff Order.

13.2 Wheeling Charges

- (a) Wheeling charges payable to distribution licensee, by the Green Energy Open Access Consumer for usage of its system shall be as determined by the Commission in the tariff order from time to time:
 - (i) The Commission shall specify the wheeling charge of the Distribution Licensee.
 - (ii) The rate of Wheeling Charge payable by Green Energy Open Access Consumer shall be specified by the Commission in its Tariff Order.
 - (iii) Wheeling Charge for Green Energy Open Access shall be computed in Paisa/kWh and it shall be charged on the energy wheeled.
- (b) In addition to Wheeling Charge, Wheeling loss shall be applicable to green energy open access consumers or generator, as the case may be, seeking Green Energy Open Access and it shall be as determined by the Commission in the tariff order from time to time.
- (c) Wheeling charges, wheeling losses shall not be applicable in case green energy open access consumer is connected to the transmission system directly or using dedicated lines owned by the consumer or generating station.

13.3 Cross Subsidy Surcharge

- (a) The Green Energy Open Access consumer shall be required to pay cross subsidy surcharge as provided in relevant Tariff Orders issued by the Commission from time to time, in addition to transmission and/or wheeling charges. Cross subsidy surcharge determined by the Commission on Per Unit basis shall be payable, on billing cycle basis, by the open access consumers based on the energy consumed during the billing period through open access. The amount of surcharge shall be paid to the distribution licensee in whose area of supply such consumer is situated.
- (b) The Cross-subsidy surcharge shall be determined by the Commission in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 read with the principles and formula stipulated in the Tariff Policy notified by the Ministry of Power, Govt. of India.

Provided that such cross-subsidy surcharge shall not be levied in case distribution/transmission access is provided to a person who has established a captive generation plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided further that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using green energy (renewable energy) sources, shall not be increased, during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted.

Provided also that Cross Subsidy Surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Municipal Solid Waste-to-Energy or Refuse-Derived Fuel (RDF) plant is supplied to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided also that Cross Subsidy Surcharge shall not be applicable in case if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

(c) Cross-subsidy surcharge for green energy open access shall be computed in Paisa/kWh and shall be charged on the energy consumed by the consumer under green energy open access.

13.4 Additional Surcharge

- (a) The Green Energy Open Access consumers are required to pay the Additional Surcharge as determined by the Commission with consideration of provisions of the Act, Rules, Regulations and Orders of the Commission from time to time. The Additional Surcharge levied on Green Energy Open Access consumer shall not be more than the per unit fixed cost of power purchase of the distribution licensee concerned.
- (b) The Additional Surcharge shall not be applicable to the Green Energy Open Access consumer to the extent of contract demand being maintained with the distribution licensee.

Provided that in case the quantum of Green Energy Open Access availed by the Green Energy Open Access consumer is more than the contracted demand / sanctioned load with the licensee and no fixed

charge or demand charge is being paid or payable for additional quantum, in that case the Additional Surcharge determined by the Commission from time to time as per the Orders of the Commission shall be applicable for such additional quantum availed over the contracted demand / sanctioned load.

Provided that for a person availing Green Energy Open Access, the Additional Surcharge shall be linearly reduced from the value in the year in which Green Energy Open Access was granted so that, if it is continued to be availed by this person, the Additional Surcharge shall get eliminated within four years from the date of grant of Green Energy Open Access.

Provided further that such additional surcharges shall not be levied in case distribution/transmission access is provided to a person who has established a Captive Generation Plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable in case power produced from a Municipal Solid Waste-to-Energy plant or Refuse-Derived Fuel (RDF) is supplied to the Green Open Access Consumer.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable in case if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

Provided further that additional surcharge shall not be applicable in case of electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned upto December, 2032 and supplied to the Open Access Consumers.

13.5 Standby charges for drawl of power by Green Energy Open Access consumer from distribution licensee

In case the green energy open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the arrangement to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like, standby arrangement shall be provided to Green Energy Open Access consumer by the distribution licensee of the area of its supply and the licensee shall be entitled to collect Standby charges which shall be 125% of the normal tariff of the relevant consumer category in the prevailing rates schedule specified in Tariff Order passed by the Commission.

Provided that the standby charges shall not be applicable, if the green energy open access consumer has given notice, at least a day in advance before closure time of Day Ahead Market on "D - (minus) 1" day, "D being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee.

Provided also that Green Energy Open Access consumers would have the option to arrange standby power from any other source.

Standby charge for green energy open access shall be computed in Paisa/kWh

13.6 Banking Facility and Charges

- (a) Banking facility shall be permitted to the intra state consumers availing Green Energy Open Access.
- (b) Banking facility shall be permitted at least on a monthly/billing period basis on payment of charges to compensate additional cost, if any, to the distribution licensee by the banking.
- (c) For the purpose of these Regulations, the banking means surplus green energy injected in the grid in 15 minutes time block basis and credited with the distribution licensee energy by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate the distribution licensee by the open access consumer.
- (d) The banking of energy shall be evaluated for energy accounting on 15 minutes time block basis. The difference between the injected energy from green energy generator available at consumption point and consumer's consumption in same 15 minutes time block basis shall be considered as banked energy.
- (e) The consumption of banked energy Peak Period , Off Peak Period & Normal Hours (as defined in Time of Day -ToD period specified in the Tariff Orders of the Commission for respective distribution licensees from time to time) shall be permitted on billing cycle basis in the following manner:
 - (i) In the billing cycle, the banked energy, if any, available during peak period, shall be allowed to be utilized during the peak period, Normal hours and the off-peak period by the Green Energy Open Access consumer.
 - (ii) The banked energy available during Normal hours shall be utilized only during Normal hours & offpeak period by the green energy open access consumer.

- (iii) The banked energy available during off-peak period shall be utilized only during off-peak period by the green energy open access consumer.
- (f) The permitted quantum of banked energy by the green energy open access consumers shall be at least 30% of total consumption, only electricity directly procured from the distribution licensee shall be considered. Electricity obtained through Open Access arrangement either from a third-party supplier or via captive generation utilizing the distribution network, will be excluded from this calculation.
- (g) When the generator situated in the State or outside the State, connected with the Inter-State Transmission System (ISTS) grid and directly supplying power to consumer(s) situated in the State, who are only connected with Inter-State Transmission System/Grid but not connected with State Transmission Network and/or Distribution System of State, the provisions related to banking facility shall be governed as per applicable CERC Regulations read with MoP Rules.
- (h) The Banking charges shall be adjusted in terms of quantum of the energy banked (kWh) @8% of the energy banked.
- (i) When the Green Energy generator is situated either in State of NCTD or outside the State of NCTD and connected with Inter-State Transmission System/Grid and supplying power to the consumer connected with Intra-State Transmission and/or Distribution System of the State, in that case, the banking facility shall be governed as per the applicable CERC Regulations read with MoP Rules.
- (j) The credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent billing cycles and shall be adjusted during the same billing cycle in a manner specified under these Regulations.

Provided that the unutilized surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each billing cycle and the renewable energy generating station shall be entitled to get Renewable Energy Certificate (REC) to the extent of the lapsed banked energy as per applicable Regulations.

13.7 Other Charges and Fees

(a) Scheduling charges

The Green Energy Open Access consumers shall require to pay scheduling charge of Rs. 2000/day/approval for Short-Term Open Access and in case of Long-Term Open Access and Medium-Term Open Access the same shall be as per Tariff Order of the Commission with regard to SLDC for respective year.

(b) Payment Security Mechanism

At the time of submissions of signed Agreement for transmission and/or wheeling of electricity, the Green Energy Open Access consumer seeking open access for Long-Term Open Access, Medium-Term Open Access, shall require to provide an irrevocable Revolving Letter of Credit (LC) or Bank Guarantee (BG) in favour of the agency responsible for collection of various charges specified in these Regulations for the estimated amount of various charges for a period of two months. While in case of Short-Term Open Access, the payment security shall be provided by the Green Energy Open Access consumer in advance for the entire period for which open access is sought. In absence of valid payment security instrument as stated above to be provided by the green energy open access consumer, no open access shall be granted.

Such LC/BG must be available to the State Nodal Agency and/or licensee during the entire period of Green Energy Open Access granted by them and availed by the open access consumer. Failure to provide above mentioned valid financial instruments as payment security to the State Nodal Agency, and/or licensee, the green energy open access granted shall be deemed to be cancelled.

13.8 Relinquishment and its Charges

Option for relinquishment of Under–Utilization or Non-Utilization of open access capacity in intra-State transmission system/distribution systems by Green Energy Open Access consumers shall be subject to the following conditions and charges:

(a) Long-term access:

A long-term Green Energy Open Access consumer may relinquish the long-term access rights fully or partly before the expiry of the full term of long-term access, by making payment of compensation for the Stranded relinquishment capacity sought, as follows: -

- (i) Long-term Green Energy Open Access consumer who has availed access rights for at least 5 years
 - 1. Notice of one (1) year If such a Green Energy Open Access consumer submits an application to the State Transmission Utility/Transmission Licensee and/or Distribution

Licensee at least 1 (one) year prior to the date from which such consumer desires to relinquish the access rights, there shall be no charges.

2. Notice of less than one (1) year – If such a Green Energy Open Access consumer submits an application to the State Transmission Utility/Transmission Licensee and/or Distribution Licensee at any time less than a period of 1 (one) year prior to the date from which such consumer desires to relinquish the access rights, such consumer shall pay an amount equal to 66% of the transmission charges and/or wheeling charges for the stranded transmission capacity and/or Distribution Capacity requested for the period falling short of a notice period of one (1) year.

(ii) Long-term Green Energy Open Access consumer who has not availed access rights for at least 5 (Five) years

4. Such consumer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges and/or wheeling charges (net present value) for the relinquishment of stranded transmission capacity and/or distribution capacity requested for the period falling short of 5 (five) years of access rights:

Provided that such a Green Energy Open Access consumer shall submit an application to the State Transmission Utility/Transmission Licensee and/or Distribution Licensee at least 1 (one) year prior to the date from which such consumer desires to relinquish the access rights:

Provided further that in case a Green Energy Open Access consumer submits an application for relinquishment of long-term access rights at any time by serving a notice period of less than one year, then such consumer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges and/or wheeling charges(net present value) for the period falling short of a notice period of one (1) year, in addition to 66% of the estimated transmission charges and/or wheeling charges(net present value) for the relinquishment transmission capacity and/or distribution capacity requested for the period falling short of 5 (five) years of access rights.

- 5. The discount rate that shall be applicable for computing the net present value as referred to in sub-clause (a)(ii)(1) of clause (13.8) above, shall be as per the discount rate specified for bid evaluation in the Ministry of Power's 'Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees' or any related notifications issued by the Central Commission from time to time.
- 6. The compensation paid by the long-term Green Energy Open Access consumer for the relinquished transmission capacity and/or distribution capacity shall be used for reducing transmission charges payable by other long-term Open Access consumer and medium-term Open Access consumer in the year in which such compensation payment shall become due in the ratio of transmission charges and/or wheeling charges payable for that year by such long-term consumer and medium-term Green Energy Open Access consumers.

(b) Medium-Term Green Energy Open Access consumers

A Medium-Term Green Energy Open Access consumer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least 30 days' prior notice to the State Nodal Agency:

Provided that the Medium-Term Green Energy Open Access consumer relinquishing its rights shall pay applicable transmission charges and/or wheeling charges for the period of relinquishment or 30 days whichever is less.

(c) Short-Term Green Energy Open Access consumer

(i) The Short-Term Open Access schedules accepted by the State Nodal Agency in advance or on first- come-first-serve basis may be cancelled or revised downwards on an application to that effect made to the State Nodal Agency by the short-term Green Energy Open Access consumer:

Provided that such cancellation or downward revision of the Short-Term Open Access schedules shall not be effective before expiry of a minimum period of two (2) days:

Provided further that the day on which notice for cancellation or downward revision of schedule is served on the State Nodal Agency and the day from which such cancellation or downward revision is to be implemented, shall be excluded for computing the period of two (2) days.

- (ii) The person seeking cancellation or downward revision of Short-Term Open Access schedule shall pay the transmission charges and/or wheeling charges for the first two (2) days of the period for which the cancellation or downward revision of schedule, as the case may be, in accordance with the schedule originally approved by the State Nodal Agency, and thereafter in accordance with the revised schedule prepared by the State Nodal Agency during the period of such cancellation or downward revision.
- (iii) In case of cancellation, SLDC operating charges specified in these Regulations shall be payable for two (2) days or the period of cancellation in days, whichever is less.

16. Curtailment Priority

In case due to transmission/distribution system constraints or otherwise, it is necessary to curtail the service, the following priority shall be followed:

- (a) The service of short-term open access consumer (other than Green Energy Open Access consumer) shall be curtailed first followed by short-term Green Energy Open Access consumers.
- (b) Next, the service of Medium-Term Open Access consumer (other than Green Energy Open Access consumer) followed by Medium-Term Green Energy Open Access consumer shall be curtailed.
- (c) Next, the service of of Long-Term Open Access consumer (other than Green Energy Open Access consumer) followed by Long-Term Green Energy Open Access consumer shall be curtailed.

Provided that within a category, the Green Energy Open Access consumers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on pro-rata basis.

Provided further that distribution licensees shall be curtailed as the last resort.

17. Metering

Green Energy Open Access consumer having contract demand of 1 MW and above shall have to provide four quadrant ABT compliant meters at the generator end, interface points, consumption place which shall conform to the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.

Provided that the open access consumer who is also consumer of distribution licensee and demanding the green energy open access upto 1 MW shall be permitted by the licensee to install Special Energy Meter capable of energy recording on 15 minutes time block basis, specified by the CEA in its Regulations for fulfillment of the purpose of billing and energy accounting for green energy open access at consumption place as per the discretion of consumer.

Above Meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorized by the State Transmission Utility, Distribution Licensee or the State Load Dispatch Centre.

All the Green Energy Open Access consumers shall abide by the metering standards of CEA.

18. Compliance of Grid Code, Distribution Code, Regulations, Orders etc.

Green Energy Open Access consumers shall abide by the State Grid Code, Distribution Code and all other Codes and Standards, DSM Regulations and other Regulations and Orders of the Commission as applicable from time to time.

19. Collection and Disbursement of Charges

The charges in respect of Green Energy Open Access consumers shall be payable directly to the State Nodal Agency and Distribution Licensees in accordance with the terms and conditions of payment as specified in these Regulations. The State Nodal Agency shall disburse the amount received to the appropriate licensees.

20. Information System

- (a) SLDC shall post the following information in a separate web page titled 'Green Energy Open Access Information' and also issue a monthly and annual report containing following information:
 - (i) A status report on Long-Term/Medium-Term/Short- Term Green Energy Open Access consumers
 - (ii) Floor rate for bidding in case of congestion.
 - (iii) Peak load flows on EHV.
 - (iv) Information regarding average loss in the transmission system as determined by the licensee on a monthly basis, and distribution loss as determined by the Commission in its respective tariff order.

- (b) The information shall be updated on every change in status.
- (c) All previous reports shall be available in the web-archives.
- (d) The SLDC shall host the above information on its website within one month from the date of notification of these Regulations.

21. Reports

The transmission/distribution licensee shall submit a quarterly report to the Commission or as may be directed by the Commission from time to time in the format prescribed in this regard.

22. Dispute Resolution

No application for green energy open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter and all orders denying green energy open access shall be speaking orders by the concerned Nodal Agency.

All disputes and complaints relating to Green Energy Open Access shall be submitted to the concerned State Nodal Agency, i.e. SLDC/STU/Distribution Licensee, as case may be, which shall endeavor to resolve the grievance and shall pass appropriate orders.

Appeal against an Order of the concerned Nodal Agency shall be preferred before the Commission, within a period of thirty days from the date of receipt of order as provided under sub-Rule (4) of Rule 7 of Green Energy Open Access Rules 2022 notified by MoP, GoI.

The Commission shall dispose the Appeal within a period of three months and the Order issued by it shall be binding upon the parties.

23. Issue of Orders and Directions

Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedures to be followed.

24. Power to give Directions

The Commission shall have the power to issue such directions and orders from time to time as considered appropriate for implementation of these Regulations.

25. Power to Relax, Amend and Remove Difficulties

The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

The Commission shall have the power to add, vary, alter, suspend, modify, amend, or repeal any provisions of these Regulations from time to time.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

26. Repeal and Saving

All previous orders, notifications etc. issues by the commission with respect to the subject matter of these Regulations shall stand repealed in so far as the same are inconsistent with the provisions contained herein.

Notwithstanding anything contained hereinabove, the existing consumer(s)/generators including green energy (RE) shall continue to be governed under the existing granted open access and they shall avail the Open Access for Green Energy (RE)/ customer/ licensee/ generator under existing open access Regulations, as per the existing agreements for the period specified in those agreements or Orders of the Commission for the period of granted open access.

RAJESH DANGI, Secy.